.यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

.न अधिकारीः– श्रीमति सुमन सोनल(आर.ए.एस.)
.ी0एम0एस0 न0–2024/158
दमा नम्बरः– 34/2024

1. मालाराम पुत्र सुखाराम(फौत) जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/1. सीताराम पुत्र माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/2. फुली देवी पुत्री माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/3. बद्रीप्रसाद पुत्र माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/4. रामेश्वर पुत्र माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/5. नानगराम पुत्र माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/6. केला देवी पुत्री माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/7. देवीलाल पुत्र माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
1/8. प्रभाती देवी पत्नी माला जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।
2. रूड़ाराम पुत्र सुखाराम जाति माली निवासी बागौरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुझुनूं।

आवेदकगण....

बनाम

1. शिवाल पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी मोडी कोठी रधाकिशनपुरा वार्ड न0 पुराना 29 जिला सीकर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार एवं उप पंजियक उदयपुरवाटी।

अनावेदकगण.....

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 10/11/25

आवेदकगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अस्थाई निषधाज्ञा का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 कुल किता 12 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 383, 384, 385, 387, 388, 389, 398, 400, 344, 345, 346 रहे है। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण की पुश्तैनी भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड आवेदकगण के दादा व पिता के नाम से रहा हैं प्रतिवादीगण सुरजा, सेडु आदि ने पटवारी से साज करके उक्त वर्णित भूमि के 1/2 हिस्सें का इन्तकाल अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड गलत कायम हुआ। उक्त राजस्व रिकार्ड को शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए आवेदकगण ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के समक्ष वाद दायर किया। जिस पर दिनांक 22.08.1980 को मुकदमा संख्या 16/1976 के द्वारा निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया। एसडीओ कोर्ट नवलगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08. 1980 की अपील झुंथाराम, सेडुराम, व सुरजा ने माननीय न्यायालय आएए जयपुर के समक्ष पेश कि जिसके मुकदमा संख्या 110/1980 रहे है। उक्त अपील पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा सुनवाई करते हुए आवेदकगण को उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा का अधिकारी नहीं माना। राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के इस निर्णय के विरूद्ध आवेदकगण ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसके मुकदमा संख्या 23/83 झुंझुनूं रहे है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण की अपील

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

CamScanner

रेज करते हुए आर0ए0ए0 जयपुर के निर्णय को यथावत रखा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान मेन्ट आ गया व सैटलमेन्ट द्वारा कायम की गई जमाबंदी में आवेदकगण का हिस्सा 1/2 एव वादीगण संख्या 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/2 अवैध इन्तकाल के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त लत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में नुमायसी बयनामा करवा दिया। जो कि आवेदक के हक–हकुको पर शून्य प्रभावी है। उक्त विक्रय पत्र को पुनः प्रतिवादी संख्या 1, 2 से अनावेदक के नाम से तस्दीक करवा लिया जो कि आवेदकगण के अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। उक्त भूमि को लेकर उभयपक्षों के मध्य पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। उक्त वर्णित भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में अनावेदकगण उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द, बेचान, निर्माण करने पर आमादा है। अगर अनावेदकगण अपनी मंशा में सफल हो जाते है तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को कारित होने की संभावना है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में है।

अन्त में निवेदन किया कि ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 कुल किता 12 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा अनावेदकगण को बेदखल नही करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई। अनावेदक संख्या 2 बावजूद तामिल न्यायालय में हाजिर नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 1 जरिये वकील न्यायालय में हाजिर आए तथा जबाब प्रार्थना पत्र मूल इस आशय का पेश किया है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है क्यो कि उक्त आराजीयात के संबध में पूर्व से ही माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं से मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन प्रभावी हैं तथा उक्त स्थगन आदेश प्रभावी होने से दूसरा स्थगन कानूनन जारी नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आवेदकगण की पैत्रिक टिनेन्सी की भूमि नहीं है बल्कि विरासत में प्राप्त 1/2 हिस्सा में मौका पर आराजी खसरा नम्बर 118, 121, 143, 147, 149 को छोड़कर काश्त व कब्जा की भूमि है लेकिन राजस्व रिकार्ड शामलाती है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3, 4 में वर्णित कथन अस्वीकार है। जबाबदेहन्दा के हिस्से की भूमि बेशकिमती होने के कारण आवेदकगण बदनियत से उक्त वर्णित भूमि को हड़पना चाहते है तथा जबरन कब्जा करना चाहते है। आवेदकगण द्वारा ऐसा प्रयास किये जाने पर जब जबाबदेहन्दा ने विरोध किया तो प्राथमिकी दर्ज हुई। जबाबदेहन्दा सद्भावी क्रेता है जिसने तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकारों से उनके हिस्से की भूमि को क्रय किया तथा मौका पर कब्जा काश्त हुआ। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अस्वीकार है। जबाबदेहन्दा उक्त वर्णित भूमि पर दिनांक 30.10.1999 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। अन्त में निवेदन किया है कि जबाबदेहन्दा की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि बेशकिमती होने के कारण आवेदकगण उक्त जमीन को हड़प करना चाहते है अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

उपखण्ड ...
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर श्रवण की गई। बहस के दौरान वकील आवेदक ने प्रस्तुत पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की द में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 कुल ता 12 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 383, 384, 385, 387, 388, 389, 398, 400, 344, 345, 346 रहे है। उक्त वर्णित भूमि आवेदकगण की पुश्तैनी भूमि रही है। उक्त वर्णित भूमि का राजस्व रिकार्ड आवेदकगण के दादा व पिता के नाम से रहा हैं प्रतिवादीगण सुरजा, सेड्डु आदि ने पटवारी से साज करके उक्त वर्णित भूमि के 1/2 हिस्सें का इन्तकाल अपने नाम से तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड गलत कायम हुआ। उक्त राजस्व रिकार्ड को शुद्ध/दुरूस्त करवाने के लिए आवेदकगण ने माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के समक्ष वाद दायर किया। जिस पर दिनांक 22.08.1980 को मुकदमा संख्या 16/1976 के द्वारा निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया। एसडीओ कोर्ट नवलगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 22.08.1980 की अपील झुंथाराम, सेडुराम, व सुरजा ने माननीय न्यायालय आएए जयपुर के समक्ष पेश कि जिसके मुकदमा संख्या 110/1980 रहे है। उक्त अपील पर राजस्व अपील अधिकारी जयपुर द्वारा सुनवाई करते हुए आवेदकगण को उक्त खसरा नम्बरान पर कब्जा का अधिकारी नहीं माना। राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के इस निर्णय के विरूद्ध आवेदकगण ने राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की जिसके मुकदमा संख्या 23/83 झुंझुनूं रहे है, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आवेदकगण की अपील को खारिज करते हुए आर0ए0ए0 जयपुर के निर्णय को यथावत रखा। उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही के दौरान सैटलमेन्ट आ गया व सैटलमेन्ट द्वारा कायम की गई जमाबंदी में आवेदकगण का हिस्सा 1/2 एव प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 8 का हिस्सा 1/2 अवैध इन्तकाल के आधार पर दर्ज किया गया। उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 ने प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में नुमायसी बयनामा करवा दिया। जो कि आवेदक के हक–हकुको पर शून्य प्रभावी है। उक्त विक्रय पत्र को पुनः प्रतिवादी संख्या 1, 2 से अनावेदक के नाम से तस्दीक करवा लिया जो कि आवेदकगण के अधिकारों पर शून्य प्रभावी है। उक्त भूमि को लेकर उभयपक्षों के मध्य पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। उक्त वर्णित भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड की आड़ में अनावेदकगण उक्त वर्णित भूमि को खुर्द बुर्द, बेचान, निर्माण करने पर आमादा है। अगर अनावेदकगण अपनी मंशा में सफल हो जाते है तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी भरपाई कतई संभव नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण का प्रथम दृष्टया मामला है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को कारित होने की संभावना है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु आवेदक के पक्ष में है। अतः ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 कुल किता 12 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा अनावेदकगण को बेदखल नही करें।

बहस के दौरान वकील अनावेदक ने प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है क्यो कि उक्त आराजीयात के संबध में पूर्व से ही माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी झुंझुनूं से मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थगन प्रभावी हैं तथा उक्त स्थगन आदेश प्रभावी होने से दूसरा स्थगन कानूनन जारी नहीं किया जा सकता। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि आवेदकगण की पैत्रिक टिनेन्सी की भूमि नहीं है बल्कि विरासत में प्राप्त 1/2 हिस्सा में मौका पर आराजी खसरा नम्बर 118, 121, 143, 147, 149 को छोड़कर काश्त व कब्जा की भूमि है लेकिन राजस्व रिकार्ड शामलाती है। अनावेदक संख्या 1 के

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

की भूमि बेशकिमती होने के कारण आवेदकगण बदनियत से उक्त वर्णित भूमि को हड़पना चाहते है जबरन कब्जा करना चाहते है। आवेदकगण द्वारा ऐसा प्रयास किये जाने पर जब अनावेदक संख्या 1 विरोध किया तो प्राथमिकी दर्ज हुई। अनावेदक संख्या 1 सद्भावी क्रेता है जिसने तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार काश्तकारों से उनके हिस्से की भूमि को क्रय किया तथा मौका पर कब्जा काश्त हुआ। अनावेदक संख्या 1 उक्त वर्णित भूमि पर दिनांक 30.10.1999 से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आवेदकगण जबरन अनावेदक संख्या 1 की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि बेशकिमती होने के कारण आवेदकगण उक्त जमीन को हड़प करना चाहते है अतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते है ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की सरहद में वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 कुल किता 12 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर अवस्थित है जिसके गत खसरा नम्बर 383, 384, 385, 387, 388, 389, 398, 400, 344, 345, 346 रहे है तथा आवेदकगण एवं अनावेदक के मध्य प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के बाबत् मौका पर कब्जा काश्त को लेकर एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा के बाबत् विवाद है जिसके मध्य नजर प्राथमिकी भी दर्ज हुई। वकील अनावेदक संख्या 1 ने भी बहस के दौरान जाहिर किया है कि उक्त अराजीयात को लेकर अन्य न्यायालय में भी वाद विचाराधीन है। पत्रावली पर मौजूद जमाबंदी सम्वत् 2016–2020 के अवलोकन से यह जाहिर हो जाता है कि सम्पूर्ण अराजी पर पूर्व में आवेदक के दादा/पिता का कब्जा काश्त एवं खातेदारी रहीं है लेकिन पत्रावली पर मौजूद जमाबंदी सम्वत 2029–2032 के अवलोकन से जाहिर होता है कि आवेदकगण के दादा/पिता की खातेदारी भूमि के 1/2 हिस्सें की भूमि अन्य के नाम दर्ज हो गई अर्थात राजस्व रिकार्ड में तब्दीली हुई। लेकिन आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 के हक हकुको का निर्णय वादपत्र में विधिवत सुनवाई एवं साक्ष्य के आधार पर होना है। उपरोक्त परिपेक्ष्य में न्यायालय को यह समाधान हो जाता है आवेदकगण प्रथम दृष्टया प्रकरण को साबित करने मे सफल रहें। प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया प्रकरण आवेदकगण के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी आवेदकगण के पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति भी आवेदकगण को ही कारित होगी। उक्त परिपेक्ष्य में उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद ना हो इस कारण आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण 1, 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल दावा का निस्तारण होने तक ग्राम बागौरा पटवार हल्का बागौरा की सरहद में स्थित वर्तमान भूमि खसरा नम्बर 117, 118, 120, 121, 122, 139, 140, 142, 143, 147, 149, 305 कुल किता 12 कुल रकबा 3.7200 हैक्टर में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें ।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

निर्णय आज दिनांक 10/01/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

CamScanner